PRESS NOTE MEERUT RANGE

जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.05.19

एनसीआर क्षेत्र में लग्जरी कारों से मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह के गैंग लीडर सहित 04 तस्कर गिरफ्तार, 60 पेटी शराब (कुल–2280 पौवा) अंग्रेजी शराब (विभिन्न ब्रांड) व 2.5 किलो गांजा तथा घटनाओं में प्रयुक्त 03 लग्जरी कारें बरामदः– थाना इंदिरापुरम पुलिस व क्राईम ब्रांच गाजियाबाद टीम द्वारा_शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में चेंकिग के दौरान दिनांक 09.05.19 को हिण्डन बैराज के पास से 04 शातिर तस्करों को 60 पेटी अवैध शराब व 2.5 किलोग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त 03 लग्जरी कारों सहित गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः–

1:– मन्नू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवसी म0न0–170 जी न्यायखंड–2 थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद। **(गैग लीडर)**

2:– अंशुल पुत्र प्रवेश सिंह निवासी म0न0–170 जी न्यायखंड–2 थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

3:– मुकेश पुत्र शिवस्वरुप निवासी आरसी–151 दीपक विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद।

4:– शक्ति पुत्र सुम्मेर सिंह निवासी आर–214 राजनगर–2 गली न0–4 पालम कालोनी नई दिल्ली।

फरार अभियुक्तः–

5:– अंकित पुत्र प्रवेष सिंह निवासी म0न0–170 जी न्यायखंड–2 थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

पूर्व में थाना इंदिरापुरम क्षेत्र से दो लग्जरी कारे मय शराब के पकडी गयी थी जिसमें अभियुक्त मन्नू मौके से फरार हो गया था जिसके सम्बंध में थाना इंदिरापुरम पर अभियुक्त के विरुद्ध अ0स0–716/19, अ0स0–781/19, अ0स0–877/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत है। अभियुक्त मन्नू यादव तभी से वाछित चल रहा था।

अभियुक्त मन्नू यादव उक्त गैंग का सरगना है अभियुक्तगण शातिर किस्म के तस्कर है जो हरियाणा व अरुणाचल प्रदेश से सस्ती शराब खरीदकर उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने का कार्य काफी दिनों से कर रहे है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व को भारी छति पहुंचा रहे हैं। अभियुक्तगणों के अपराधिक इतिहास व अन्य साथियों के सम्बंध में गहनता से पूछताछ की जा रही हैं।

अभियुक्त मन्नू यादव का अपराधिक इतिहासः—

क0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	716 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
02	781 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
03	877 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
04	1038 / 19	8 / 20 / 27 / 52 एनडीपीएस एक्ट	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

अभियुक्त अं ुल का अपराधिक इतिहासः—

क0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	877 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
02	1039 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

अभियुक्त मुके I का अपराधिक इतिहासः—

क0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	877 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
02	1040 / 19	8 / 20 / 27 / 52 एनडीपीएस एक्ट	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
03	1041 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

अभियुक्त शक्ति का अपराधिक इतिहासः—

क0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	1042 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरणः—

1:— 01 आई—20 कार न0—UP14DQ-7948

2:— 01 महेन्द्रा लोगान कार न0—DL4CNB-1802

3:— 01 सैन्ट्रो कार न0—DL3CAP-3125

4:— 60 पेटी शराब— कुल 2280 पौवे

5:— 2.5 किलोग्राम गांजा

एनसीआर क्षेत्र में आन डिमांड दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफा I, 1000 से अधिक दोपहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 08 मोटर साईकिल व 05 स्कूटी तथा वाहन चोरी करने के उपकरण बरामदः— थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं का परीषीलन कर तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 09. 05.2019 को सेक्टर—2 / 5 वैषाली की पुलिया के पास से 01 शातिर वाहन चोर को चोरी की गयी 01 स्कूटी व वाहन चोरी के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः—

1:— मौहम्मद शाहिद पुत्र मौहम्मद मुस्तफा निवासी किदवई नगर मिन्नी मस्जिद गली न0—2 म0न0—933 थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ।

अभियुक्त का अपराध करने का तरीकाः—

अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर किस्म का दो–पहिया वाहन चोर है जो आन डिमांड दो पहिया वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है जो अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मेरठ से आकर एनसीआर क्षेत्र में घूम–घूमकर रैकी कर दो पहिया वाहनों को अपना नि ाना बनाते है तथा मौका देखकर अपने चोरी करने वाले उपकरणों का प्रयोग कर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते है तथा चोरी किये गये वाहनों को आसपास के अन्य क्षेत्रो व पार्किंगों में छुपा देते है अभियुक्तगण बहुत ही शातिर किस्म के वाहन चोर है जो एक ही दिन में 06–08 दोपहिया वाहन चोरी करते है तथा मौका देखकर अपने गैंग के सदस्यों की सहायता से चोरी किये गये वाहनों को सोतीगंज मेरठ ले जाकर 08 हजार से 10 हजार प्रति वाहन की कीमत से अपने फिक्स कबाडियों को बेच देते हैं तथा कबाडी वाहन को रिसिव करते ही तुंरत अपने गोदाम में वाहनो को कटवा देते है तथा उनके पार्टस को बाजार में ऊचे दामों पर बेच देते है तथा ईजन व चैचिस नम्बर को ग्राईंडर के माध्यम से घिसकर समाप्त कर देते है इस कारण चोरी किये गये वाहन पकड में नही आते हैं। अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने अपने गैंग के साथ मिलकर 500 से अधिक दो पहिया वाहन चोरी किये है। अभियुक्त करीब 09–10 वर्ष से दो पहिया वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा हैं। अभियुक्त के गैंग के अन्य साथी चोरों व सोतीगंज के रिसीवरों/कबाडियों के लिए टीम बनाकर दबि ा व गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु भरसक प्रयास किये जा रहे है तथा अभियुक्तगणों के अपराधिक इतिहास के बारे मे भी जानकारी की जा रही हैं।

बरामद वाहनों का विवरणः–

1:–एक स्पलेंडर प्लस मोटर साईकिल न0–HR22H-2136 **(अ0स0–44725/18 धारा 379 भादवि थाना काईम ब्रांच दिल्ली)**
2:–एक होण्डा एक्टिवा स्कूटी न0–UP21AJ-5505 **(अ0स0–592/19 धारा 379 भादवि थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद)**
3:–एक सुजुकी स्कूटी न0–DL8SBM-2861 **(अ0स0–591/19 धारा 379 भादवि थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद)**
4:–एक होण्डा एक्टिवा स्कूटी न0–DL3SBM-7253 **(अ0स0–15801/19 धारा 379 भादवि थाना काईम ब्रांच दिल्ली)**
5:–एक होण्डा एक्टिवा स्कूटी न0–DL5SAC-1173 **(अ0स0–102/13 धारा 379 भादवि थाना सीमापुरी दिल्ली)**
6:–एक स्पलेंडर मोटर साईकिल न0–HR43A-1528 **(अ0स0–198/11 धारा 379 भादवि थाना कोसली रेवाडी हरियाणा)**
7:–एक अपाची मोटर साईकिल न0–UP15BS-4713 **(अ0स0–29/17 धारा 379 भादवि थाना मेडीकल जिला मेरठ)**
8:–एक सीडी डाउन मोटर साईकिल न0–DL7SAC-9668
9:–एक पल्सर मोटर साईकिल न0–DL7SBP-8150
10:–एक पल्सर मोटर साईकिल न0–UP81BB-1574
11:–एक प्लेटिना मोटर साईकिल न0–DL7SBA-1762
12:–एक टीवीएस स्टार सिटी मोटर साईकिल न0–DL4SBB-8665
13:–एक टीवीएस विगो स्कूटी न0–UP15BS-4713

अभियुक्त मौहम्मद शाहिद का अपराधिक इतिहासः–

d0 l0	अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	44725/18	379/411 भादवि	काईम ब्रांच	दिल्ली
2	592/19	379/411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
3	591/19	379/411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
4	15801/19	379/411 भादवि	काईम ब्रांच	दिल्ली
5	102/13	379/411 भादवि	सीमापुरी	दिल्ली
6	198/11	379/411 भादवि	कोसली रेवाडी	हरियाणा
7	29/17	379/411 भादवि	मेडिकल	मेरठ
8	308/16	25/4 आर्म्स एक्ट	लालकुर्ती	मेरठ
9	309/16	411/414 भादवि	लालकुर्ती	मेरठ

10	1043/19	411/414 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

एनसीआर क्षेत्र में गन प्वाईट पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 03 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 02 मोबाईल फोन, 01 लिनेवों टैब तथा घटनाओं में प्रयुक्त डिस्कवर बाईक बरामदः– थाना इंदिरापुरम पुलिस ने _दिनांक 09.05.2019 को सैन्ट्रल पार्क से 03 शातिर लूटेरो को लूटे गये 02 मोबाईल फोन, एक लिनोवो टैब तथा घटनाओं में प्रयुक्त डिस्कवर मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अपराधियों के नाम व पतेः–

1:– प्रान सिंह पुत्र महे ा सिंह निवासी शनि चौक शक्तिखंड–3 थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

2:– संजीत कुमार पुत्र रंजीत मेहरा निवासी सेक्टर–1 वै ााली थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

3:– रिहान खान पुत्र रिजवान खान निवासी गाजीपुर मण्डी थाना गाजीपुर दिल्ली।

अभियुक्तगणों का अपराध करने का तरीकाः–

अभियुक्तगण शातिर किस्म के लूटेरे है जो चोरी किये गये वाहनों से लूटपाट की घटनाओं को अजांम देते हैं तथा उक्त गैंग के सदस्यों को एनसीआर क्षेत्र की अच्छी जानकारी होने के कारण उक्त लोग गैंग बनाकर एनसीआर क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा लूटपाट की घटनाओं को करने के लिए मोटर साईकिलो का प्रयोग कर आने जाने वाले व्यक्तियों को अपना निशाना बनाकर उनसे चैन/मोबाईल/पर्स लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

दिनांक 02.05.19 की रात्रि को अभियुक्तगणों द्वारा होटल रेडि ान के पास ओला कैब को रोककर चालक को गन प्वाईंट पर लेकर मारपीट कर उससे लिनेवो टैब व 3000 रुपये लूटकर भाग गये थे।

उक्त अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है यदि कोई व्यक्ति विरोध करता है तो उसे अस्लाह दिखाकर डराकर भाग जाते हैं। जिनके पूर्व अपराधिक इतिहास व अन्य घटनाओ के सम्बंध में जानकारी की जा रही हैं।

बरामदगी का विवरणः–

1:–	01 डिस्कवर मोटर साईकिल	**लूट की घटनाओ में प्रयुक्त**
2:–	01 एमआई मोबाईल फोन	**(सम्बन्धित अ0स0–1037/19 धारा 392/411 भादवि)**
3:–	01 सैमसंग मोबाईल फोन	**(सम्बन्धित अ0स0–1352/18 धारा 392/411 भादवि)**
4:–	01 लिनोवो टैब	**(सम्बन्धित अ0स0–1035/19 धारा 394/411 भादवि)**

अभियुक्तगणों का अपराधिक इतिहासः–

d0	**अ0स0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1	1037/19	392/411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
2	1352/19	392/411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
3	1035/19	394/411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

पसौंडा गांव में हुई हत्या में शामिल अभियुक्त इमरान मय मृतक युसुफ के मोबाईल फोन सहित गिरफ्तारः– दिनांक 06.05.2019 को सुबह पसौंडा से सिकन्दरपुर रोड पर 01 अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था

जिसकी पहचान युसुफ उर्फ दिन्ना पुत्र यामीन के रूप में हुई थी जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 988/2019 धारा 302/201/506 भादवि बनाम शाहरूख व इमरान के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था।

थाना सहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 09.05.2019 को समय 21.10 बजे भौपुरा मोड से हत्या में शामिल अभियुक्त इमरान को मय मृतक युसुफ के मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया है ।

अभियुक्त शाहरूख पुत्र नूर मौ0 को दिनांक 09.05.2019 को मय आलाकत्ल चादर व बैगनार कार सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-</u>

1- इमरान पुत्र मौ0 रशीद नि0 चॉद मस्जिद पसौंडा थाना सा0बाद गा0बाद।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना का मोबाईल फोन

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना पुत्र यामीन कुरैशी नि0 पसौंडा थाना सा0बाद गा0बाद से पिछले काफी समय से अभियुक्त शाहरूख पुत्र नूर मौहम्मद से पैसों का लेन देन चल रहा था । अभियुक्त ने मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना उपरोक्त से 20% की दर से 1,25,000 रु0 ब्याज पर लिये थे । जिसका वह पिछले काफी समय से ब्याज दे रहा था । अब अभियुक्त उक्त ब्याज व रुपये के लिए मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना उपरोक्त से मना कर रहा था किन्तु मृतक नहीं माना और कई बार इसी रुपये के लेन देन के ऊपर इन दोनों की आपस में कहा सुनी भी हुई थी । अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त ने मृतक से पीछा छुडाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई । इस काम के लिए अभियुक्त इमरान पुत्र नसीर नि0 पसौंडा थाना सा0बाद गा0बाद ने शाहरूख के साथ मिलकर दिनांक 05.05.2019 को मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना को पसौंडा पुलिया के पास स्थित शाहरूख की ई रिक्शा की पार्किंग में रुपये देने के बहाने से रात में लगभग 09.00 बजे फोन करके बुलाया तथा उसके आने पर उसे पानी में मिलाकर नींद की गोलिया पिला दीं जिससे वह बेहोश हो गया तथा शाहरूख ने साथी इमरान की मदद से बैठशीट (चादर) से मृतक उपरोक्त को गला घोटकर मार दिया तथा पार्किंग में खडी वेगनार गाडी नं0 DL 8CAJ 3471में मृतक के शव को रखकर सिकन्दरपुर रोड पर खाली जगह में फेंक आये थे ।

<u>**01 अभियुक्त,01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से आला क़त्ल बरामद :-**</u> आज दिनांक 10-05-19 को <u>थाना-मसूरी पुलिस द्वारा समय</u> करीब 10:00 a.m. बजे IMS कालिज तिराहा डासना से मुकदमा 300 /19 us 147/148/149/302/34/120 बी ipc थाना मसूरी से सम्बंधित 01 अभियुक्त इंद्रवीर s/o श्री प्रहलाद निवासी ग्राम-बहादरपुर,थाना-सरधना,जिला-मेरठ व 01 अभियुक्ता को मय स्कॉर्पियो गाड़ी नम्बर-UP14BX9009 के गिरफ्तार किया गया है मृतक विपिन की हत्या की घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व 1 कारतूस जिंदा बरामद हुआ है

<u>**03 शातिर अपराधियो से मु0अ0सं0 375/19 धारा 147/148/149/307/302 भादवि से सम्बन्धित आला कत्ल 02 तमन्चे 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस,02 खोखा कारतूस, 01 पिस्टल .32 बोर मय 02 कारतूस बरामद-**</u> थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.05.2019 को मु0अ0सं0 375/19 धारा 147/148/149/307/302 भादवि से सम्बन्धित अभि0गण 1- मोती 2-अंकित 3- भानू को <u>माननीय न्यायालय के आदेश से पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्तगण की निशादेही पर</u> हत्या में प्रयुक्त 01 तम्नचा 315 बोर ,01 जिन्दा कारतूस,खोखा कारतूस,01 पिस्टल देशी .32 बोर ,02 जिन्दा कारतूस ,हत्या में प्रयुक्त 01 तमन्चा .315 बोर 02 जिन्दा कारतूस,1 खोखा कारतूस बरामद किया गया।

अभियुक्तगणो की निशादेही पर बरामद उपरोक्त आला कत्ल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 445/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम भानू 2-मु0अ0सं0 446/19 धारा -25/27 आर्म्स एक्ट बनाम अंकित 3-मु0अ0सं0 447/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम मोती पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तगण का नाम पताः-

1- मोती उर्फ अरुण पुत्र श्री सतवीर निवासी गली नं0 10 कृष्णाकुंज थाना मोदीनगर गा0बाद ।

2- अंकित पुत्र सतवीर नि0 गली नं0 10 कृष्णा कुंज थाना मोदीनगर गा0बाद ।

3- भानू पुत्र अजय जाट नि0 तिबडा रोड कृष्णा कुंज भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर गा0बाद

बरामदगी आलाकत्लः-

1- **मोती उर्फ अरुण** -01 तम्नचा 315 बोर ,01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, व खोखा कारतूस

2-**अंकित** -01 पिस्टल देशी .32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर

3-**भानू-** 01 तमन्चा .315 बोर 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक खोखा कारतूस .315 बोर

PRESS NOTE

दिनांक 10.05.2019

जनपद बागपत पुलिस का सराहनीय कार्य

➢ **आबकारी अधि मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 112 अध्धे देशी शराब बरामद।**

- **थाना बागपतः–** पुलिस द्वारा जंगल ग्राम सिसाना से अभियुक्त 1–अजय पुत्र सोमपाल 2– सुखचेन पुत्र लोटे नि0गण0 ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जपनद बागपत को गिरफ्तार किया है अभियुक्तों के कब्जे से 112 अध्धे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद की गई।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर
दिनांक 10.05.2019 सराहनीय कार्य

थाना सैक्टर 39

दिनांक 09.05.2019 को थाना सैक्टर 39 पुलिस द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला रेतकर हत्या करने वाली अभियुक्ता व प्रेमी को मय आलाकत्ल चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1–अंकित कुमार पुत्र वीरपाल सिंह नि0 भीकनपुर साखनी थाना फरेहा जिला फिरोजाबाद।

2–अंजली पत्नी श्याम सुन्दर नि0 बवाईन थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद हाल पता ग्राम सदरपुर सैक्टर 45 नोएडा।

बरामदगी का विवरणः–

एक अदद चाकू (आला कत्ल)

आपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 370/2019 धारा 302 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा।
2. मु0अ0सं0 407/2019 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना सैक्टर 39 नोएडा।

थाना फेस 2

दिनांक 8.05.2019 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा सैमसंग कम्पनी से चार्जर चोरी करने वाले 05 चोरो को मय 320 चार्जर के गिरफ्तार किया गया है।

सैमसंग कम्पनी द्वारा थाना फेस 2 पुलिस को सूचना दी गयी थी कि पिछले काफी समय से सैमसंग कंपनी में कार्यरत कर्मचारीगण चोरी छिपे मोबाइल चार्जर चोरी कर बाहर बेचने का कार्य कर रहे है।इस सूचना पर पुलिस द्वारा कर्मचारीगण की ड्यूटी समाप्ति के समय कंपनी के अधिकारियों के साथ चैकिंग कर 5 कर्मचारीगण को चोरी किये गए 320 मोबाइल चार्जरों के साथ गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में सैमसंग कंपनी के अधिकारी श्री विकास कुमार यादव की तहरीर पर सभी के विरुद्ध मु अ सं 309/19 धारा 381,411 भादवि दर्ज किया गया है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1–अमित कुमार पुत्र घनश्याम नि0 बाघोडा,पुरी झम्मन थाना कुमार गंज ,फैजाबाद

2– चंदन पुत्र राम नरेश नि0 नाऊर थाना नबीगंज ,औरंगाबाद,बिहार

3–निरंजन पुत्र जीवन प्रधान नि0 दारूवा थाना कामर्दा ,बालेश्वर, उड़ीसा

4–सुनील यादव पुत्र लल्लन नि0गुरारी थाना शादियाबाद ,गाजीपुर

5– मारुति पुत्र शंकरदीन नि0 धरामपुर, थाना चंडी ,नालंदा, बिहार

बरामदगी का विवरणः–

320 चार्जर कीमत करीब 2 लाख रुपये।

प्रेस नोट दिनांक 10.05.2019 जनपद मेरठ

ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना को अन्जाम देने व चोरी की गाडी बेचने जा रहे दो बदमाशो को चोरी की स्कार्पियो व एक कार बैगनार व तमन्चा व कारतुस के साथ गिरफ्तार किया

दिनाँक 10/05/19 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी ब्रहमपुरी मेरठ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक ब्रहमपुरी श्री रघुराज सिह के नेतृत्व मे ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा **द्वारिकापुरी गेट के सामने** चैकिग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभि0 (1) शानू उर्फ कासिम पुत्र सिराजुद्दीन नि0 बिलाल मस्जिद के पास गली न0 3 अहमद नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ (2) वसीम पुत्र इकबाल नि0 ककरोली थाना ककरोली जिला मुजफ्फरनगर को किसी घटना को अन्जाम देने व चोरी की गाडी को बैचने के लिये ले जाते समय पकडा जिन्होने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिग की जिससे पुलिस पार्टी बाल बाल बची। जिनके कब्जे से दो तमन्चे व 3 कारतुस जिन्दा व 1 खोखा कारतुस व चोरी की एक स्कार्पियो व एक वैगनार बरामद हुयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

(1) शानू उर्फ कासिम पुत्र सिराजुद्दीन नि0 गली न0 3 अहमद नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ

(2) वसीम पुत्र इकबाल नि0 ककरोली थाना ककरोली जिला मुजफ्फरनगर

बरामदगी-

1- एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतुस

2- एक अदद तमन्चा 12 बोर मय एक खोखा कारतुस व एक जिन्दा कारतुस

3- एक वैगनआर नम्बर प्लेट UP 17 B 202 (असली नम्बर DL 2CZ 9661) जो थाना बसन्त विहार दिल्ली से चोरी है।

4-एक गाडी स्कार्पियो घिसे हुये इन्जन नम्बर व चैसिस नम्बर

अपराधिक इतिहास -

1- मु0अ0स0 305/19 धारा 307 भादवि बनाम शानू उर्फ कासिम व वसीम थाना ब्रहमपुरी मेरठ

2- मु0अ0स0 306/19 धारा 25 ए एक्ट बनाम शानू उर्फ कासिम थाना ब्रहमपुरी मेरठ

3- मु0अ0स0 307/19 धारा 25 ए एक्ट बनाम वसीम थाना ब्रहमपुरी मेरठ

4- मु0अ0स0 308/19 धारा 420,467,468,471,411,413,414 बनाम शानू उर्फ कासिम व वसीम थाना ब्रहमपुरी मेरठ

प्रेस नोट साईबर क्राइम सेल (क्राइम ब्रान्च) जनपद मेरठ।

मु0अ0सं0 303/19 धारा 420,406 भादवि व 66 सी आईटी एक्ट सम्बन्धित थाना नौचन्दी जनपद मेरठ में ओएलएक्स पर कार,मोटरसाईकिल, मोबाइल आदि बेचने के नाम पर करोडो की ठगी करने वाले अर्न्तराजीय अपराधी का पर्दाफाश 03 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक–09.05.2019 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार व श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध एंव श्रीमान क्षेत्राधिकारी अपराध के पर्यवेक्षण में साईबर सेल व थाना नौचन्दी की संयुक्त टीम के द्वारा ओएलएक्स पर पुरानी कार, मोटरसाईकिल व मोबाइल आकर्षक दामों पर बेचने का लालच देकर व फर्जी नाम के सिम नम्बर पर पेटीएम रजिस्टर्ड कर विभिन्न राज्यो के लोगो से धोखाधडी कर रुपया ट्रान्सफर करवा कर ठगी करने वाले करने वाले शातिर अर्न्तराजीय अपराधीयों का पर्दाफाश करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। जिसमे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1– वाजिद पुत्र शमशुददीन उर्फ कंचा निवासी ग्राम हतन गांव थाना बिछौर जिला नूहू (मेवात) हरियाणा हाल पता हकिमुददीन का मकान ग्राम रिगढ थाना फिरोजपुर झिरका जिला नूहू (मेवात) हरियाणा।

2– मौ0 शाहजहॉ पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी रिगढ थाना फिरोजपुर झिरका जनपद नूहू (मेवात) हरियाणा।

3– अकरम पुत्र जाकिर निवासी गांव उचैडा थाना जुरहैडा तहसील काम जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता बहनोई इकबाल पुत्र मजीद का मकान ग्राम रनियाला फिरोजपुर थाना फिरोजपुर झिरका जिला नूहू (मेवात) हरियाणा।

बरामदगीः–

1– 04 मोबाइल फोन
2– 01 आधार कार्ड, 01 ड्राईविंग लाइसेन्स व 01 पन्च सिल्वर कलर
3– ठगी के 93 हजार 310 रुपये नकद
4– ठगी से किये गये खातो में लगभग 05 लाख रुपये फ्रिज

घटना का संक्षिप्त विवरणः– श्री गौरव सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी निवासी म0न0 224/2 शास्त्री नगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ के द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ के समक्ष प्रस्तुत होकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें अभियुक्तगणों के द्वारा ओलएक्स के माध्यम से वैगनआर कार न0 यूपी 15 बीएस 6561 का बिक्री हेतू विज्ञापन दिया गया था जिसे आर्मी के एसआई नवीन सिंह तोमर के द्वारा बेचना दिखाया गया था। उक्त कार को गौरव सैनी को बेचने के नाम पर 01 लाख 75 हजार 676 रुपये उपरोक्त तीनों अभियुक्तो द्वारा फर्जी मोबाईल नम्बर से बात कर आवेदक से यू0पीआई के माध्यम से अभियुक्तो द्वारा बनाये गये फर्जी पेयटीएम में आनलाईन ट्रान्सफर करा लिये। ठगी के रुपये पेटीएम खातो में डलवा कर उन्हे अन्य मर्चेन्टो के खातों में ट्रान्सफर कर उन्हे कमीशन देकर वहॉ से नकदी प्राप्त करते थे।

सट्टे की खाईबाडी करते मय सट्टा पर्चा के अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा साई मन्दिर के पीछे बेगमपुल से अभियुक्तगण 1. बबलू पुत्र कन्हैया लाल नि0 01 बी 258 सैक्टर 03 माधवपुरम ब्रहमपुरी 2. राहुल पुत्र दवेन्द्र कुमार नि0 02 डी 109 सैक्टर 03 माधवपुरम मेरठ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से पर्चा सट्टा, 590 रूपये नगद व गत्ता पैन बरामद हुए। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना सदरबाजार पर अभियोग पंजीकृत कर आव यक विधिक कार्यवाही की गयी।